

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी. एम. पी. संख्या 412/2019

मोहम्मद अबुल कलाम और अन्य

....याचिकाकर्ता

बनाम

झारखंड राज्य एवं अन्य

.....उत्तरदाता

कोरम:माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन

याचिकाकर्ताओं के लिए: श्री अभिजीत कुमार, अधिवक्ता

--- -

05/17. 06. 2022: याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी है।

अनुमति दी जाती है।

तदनुसार, इस याचिका को वापस लिए जाने के कारण खारिज किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)